क्रम-संख्या-66

रजिस्ट्रेशन नम्बर-जी0-11/लाई0--
न्यूज पेपर/91/05-06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 17 मार्च, 2006

फाल्गुन 26, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 244/सात-वि-1-01(क)-3-2006

लखनऊ, 17 मार्च, 2006

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 14 मार्च, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2006)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980 की धारा 5 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की धारा 5 में —

(क) उपधारा (1) में शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "पाँच वर्ष" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"(6) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पद धारण करने वाले प्रत्येक सदस्य पर भी लागू होंगे।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980) की धारा 5 की उपधारा (1) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक सदस्य, जब तक कि वह उन नियमों के अधीन जिन्हें अधिनियम के अधीन बनाया जाय, उस रूप में बने रहने के लिए निरर्हित न हो जाय, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। यह अनुभव किया गया है कि उक्त अधिनियम में उक्त सदस्यों की यथाउपबन्धित पदावधि राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थियों के चयन के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि आयोग के पुनर्गठन में समय लगता है। अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम में संशोधन करके आयोग के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दी जाय जिससे कि अपेक्षित संख्या में अध्यापकों का चयन यथासमय किया जा सके।

तदनुसार उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
राम हरि विजय त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 244/VII-V-1—1 (ka) 3-2006
Dated Lucknow, March 17, 2006

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Uttar Pradesh Uchchatar Shiksha Seva Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 14, 2006.

THE UTTAR PRADESH HIGHER EDUCATION SERVICES COMMISSION (AMENDMENT) ACT, 2006

(U.P. ACT NO. 4 OF 2006)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 2006.

Amendment of section 5 of U. P. Act no. 16 of 1980

2. In section 5 of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980,–

(a) in sub-section (1) *for* the words "three years" the words "five years" shall be *substituted.*

(b) after sub-section (5) the following sub-section shall be *inserted,* namely :—

"(6) The provisions of sub-section (1) as amended by the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 2006 shall apply also to every member holding office immediately before the commencement of the said Act."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sub-section (1) of section 5 of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980 (U.P. Act no. 16 of 1980) provides that every member shall unless he becomes disqualified for continuing as such under the rules that may be made under the Act, hold office for a term of three years. It has been felt that the term of the office of the said members as provided in the said Act is not sufficient for the selection of required number of candidates for the appointment of the teachers of the colleges affiliated or associated with the State University because the reconstitution of the commission takes time. It has, therefore, been decided to amend the said Act to increase the term of the members of the commission from three years to five years so that the required number of teachers may timely be selected.

The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Bill, 2006 is introduced accordingly.

By order,
RAM HARI VIJAY TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 2300 राजपत्र–(हिन्दी)–(3404)–2006–597–(कम्प्यूटर / आफसेट)।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 179 सा० विधायी–(3405)–2006–850–(कम्प्यूटर / आफसेट)।